न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2016	29–08–2016	11–10–2019

1– रामपाल पुत्र स्व0 रामधन जाति माली निवासी ग्रम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–असल रेस्पाडेन्ट

2– संज्यादेवी पत्नी स्व0 रामधन जाति माली
3– रमेश चंद पुत्र स्व0 रामधन जाति माली
4– कमली पुत्री स्व0 रामधन जाति माली
5– मिश्री पुत्री स्व0 रामधन जाति माली निवासीयान ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार थानागाजी इंतकाल संख्या 265 वाके ग्राम लालपुरा दिनांक 01.07.2016

उपस्थितः–

01. श्री देवेन्द्र कुमार जैन –वकील अपीलान्ट
02. श्री अशोक सैनी –वकील तरतीबी रैस्पो.

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 01.07.2016 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 265 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 265 निर्णय दिनांक 01.07.2016 ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर विधि विरूद्ध किया गया है। मृतक व्यक्ति के पक्ष में इंतकाल स्वीकृत किया है। इंतकाल सं. 265 आराजी खसरा नम्बर 915, 944, 945 व 895 मृतक रामधन के 1/5 हिस्से का विरासत का इंतकाल उसकी पूर्व मृतक पत्नी भग्गी व तरतीबी रेस्पो. 2 लगा0 5 के पक्ष में स्वीकार किया है। मृतक रामधन की पत्नी को मरे करीब 60 साल हो चुके है। भग्गी की मृत्यु के पश्चात् रामधन ने रैस्पो0 1 से पुनर्विवाह कर लिया। मृतक रामधन के नुफ्ते से संजय देवी के गर्भ से अपीलांट व तरतीबी रैस्पो. 2 लगा0 5 का जन्म हुआ। रामधन की विरासत का इंतकाल उसके जायज वारिस अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 2 से 5 के पक्ष में स्वीकार करना चाहिए था। पटवारी हल्का ने आईएलआर को मृतक रामधन के वारिसान की जांच कर इंतकाल निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। आईएलआर ने वारिसों के बारे में जलसे–आम में जांच नहीं की गई, बल्कि रिपोर्ट पटवारी, मृत्यु प्रमाण–पत्र, सरपंच के वारिस प्रमाण–पत्र का मिलान का अंकन सही मानते हुए इंतकाल स्वीकार करने हेतु पेश किया गया। सरपंच द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र की पुश्त

पर रामधन के वारिसान का सजरा बनाया गया। जिसमें रामधन के वारिस केवल अपीलांट व रैस्पो0 तरतीबी 2 लगा. 5 दर्शाये गये है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरपंच द्वारा पेश सजरे पर गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामधन की पूर्व पत्नी भग्नी के बारे में कोई जांच नहीं की गई। तरतीबी रैस्पो0 2 लगा0 5 व अपीलांट मृतक रामधन के जायज वारिसान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.07.2016 इंतकाल संख्या 265 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 2 लगा. 5 के पक्ष में मृतक रामधन की विरासत का इंतकाल दर्ज किया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध दिनांक 29.08.2016 को पेश किया। जो करीब 2 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल इंतकाल के अवलोकन से पाया गया कि इंतकाल के कॉलम नं0 16 में पटवारी हल्का द्वारा सरपंच की गवाही के आधार पर इंतकाल दर्ज करना बताया गया है, जबकि रामधन के मृत्य प्रमाण–पत्र की पुश्त पर सरपंच द्वारा बनाये सजरे में रामधन के वारिस अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 2 लगा0 5 दर्शाये गये है। जो पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल पर दर्शाये गये सजरे से भिन्न है तथा पटवारी हल्का द्वारा सरपंच के द्वारा पेश सजरे के अनुसार इंतकाल दर्ज नहीं करके भग्गी के नाम को शामिल करते हुए इंतकाल दर्ज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक रामधन के वारिसान की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11-10-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)